पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 216/2018

अनवान :

संतलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा।
3. सोनू पत्नि आनन्द पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा निवासी चहड़ छोटी बहल तहसील लूहारू।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बंशीधर शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री विरेन्द्र झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 65/58 के खसरा नं0 355/2 की 6.3640 है0, खसरा सं0 359 की 1.6820 है0, खसरा नं0 5/4 की 2.2010 है0 कुल 10.2470 है0 खातेदारी बारानी कृषि भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 विजेन्द्र तीनों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 सोनू ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सें पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 विजेन्द्र के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/3-1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 216/2018

अनवान :

संतलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा।
3. सोनू पत्नि आनन्द पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा निवासी चहड़ छोटी बहल तहसील लूहारू।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री बंशीधर शर्मा : वादी

वकील श्री विरेन्द्र झोरड़ : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय **दिनांक : 16.08.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 65/58 के खसरा नं0 355/2 की 6.3640 है0, खसरा सं0 359 की 1.6820 है0, खसरा नं0 574 की 2.2010 है0 कुल 10.2470 है0 खातेदारी बारानी कृषि भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को अपने पिता भानीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सरी जद्दी जायदाद है। वाद भूमि में वादी का प्रतिवादी विजेन्द्र, सोनु व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सोनू ने वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी जयसिंह व अपने भाई सन्तलाल व विजेन्द्र के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है, इसलिए उपर वर्णित समस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी जयसिंह के साथ साथ वादी सन्तलाल एवं प्रतिवादी विजेन्द्र तीनों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं बाद घोषणा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन फरमाया जावे।

वाद पेश होने प्रर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी सन्तलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी के खाता सं0 65/58

16.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2043 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी के प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को अपने पिता सन्तलाल से विरासतन में प्राप्त हुई थी, इसलिए वाद भूमि वादी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2043 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा भानी वल्द सांवत के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादी के पिता जयसिंह को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में जयसिंह के वारिसान में पत्नि सुमित्रा, दो पुत्र विजेन्द्र व सन्तलाल एवं एक पुत्री सोनू होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया ज़ाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 65/58 के खसरा नं0 355/2 की 6.3640 है0, खसरा सं0 359 की 1.6820 है0, खसरा नं0 574 की 2.2010 है0 कुल 10.2470 है0 खातेदारी बारानी कृषि भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 विजेन्द्र तीनों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 सोनू ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सें पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 विजेन्द्र के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.19

(सुखराम पिण्डेल)
(फास्ट ट्रेक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़